UPKU100002562006

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, कसया,कुशीनगर।
पीठासीन अधिकारी–(शिरिष पटेल)–उ०प्र० न्यायिक सेवा–UP03572

फौजदारी वाद संख्या–185/2006

सरकार
बनाम
सच्चितानन्द पुत्र जीतन भगत (मृत्यु दौरान वाद)
हरेन्द्र पुत्र मथुरा भगत
विश्वास पुत्र सच्चितानन्द
साकिन– अमवा महंथ, थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर।

मुकदमा अपराध संख्या–453/2005,
धारा–323, 504, 506, 325 भा० दं० सं०,
थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर।

निर्णय

1. बाद विवेचना अभियुक्तगण–सच्चितानन्द, हरेन्द्र व विश्वास के विरूद्ध फौजदारी वाद संख्या–185/2006, मुकदमा अपराध संख्या–453/2005, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 325 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर की पुलिस द्वारा विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28.08.2005 को मैं अपनी मोटरसाइकिल से घर फाजिलनगर जा रहा था कि समय करीब 17 बजे जब गांव के सचितानन्द कुशवाहा के घर के सामने पहुंचा तो पुरानी रंजिश के कारण मुझे रोककर गाली गुप्ता व धमकी जान माल की देने लगे। मैं मना किया तो सचितानन्द कुशवाहा पुत्र जीतन भगत, हरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मथुरा भगत व विश्वास पुत्र सचितानन्द में मुझे लाठी व डंडा से मार दिया जिससे मेरा दाहिना हाथ टूट गया। शरीर में और कई जगह चोटें आ गई। मैं अपनी डाक्टरी इलाज व एक्स–रे फाजिलनर व कसया से करा कर आया हूँ।

3. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्तगण– सच्चितानन्द, हरेन्द्र व विश्वास के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–453/2005, अन्तर्गत धारा– 323,325,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ और विवेचक द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण सच्चितानन्द, हरेन्द्र व विश्वास के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–323, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण– सच्चितानन्द, हरेन्द्र व विश्वास न्यायालय उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन कराया गया। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धाराओं में अपनी जमानत करायी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में अन्य अभियुक्त– सच्चितानन्द, हरेन्द्र व विश्वास के विरूद्ध आरोप दिनांक–03.06.2019 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया और समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना किया। **दौरान मुकदमा अभियुक्त सच्चितानन्द की मृत्यु हो गयी है, उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।**

4. अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में रमापती यादव व पी० डब्लू०–2 के रूप में गुलजार यादव को सशपथ परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की गयी है।

5. अभियुक्तगण– हरेन्द्र व विश्वास का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक–17.07.2026 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 व पी० डब्लू०–2 के बयान को सुनकर अभियुक्तगण द्वारा गलत है, का कथन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है और अन्त में कुछ नहीं कहने का कथन किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में रमापती यादव को सशपथ परीक्षित कराया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " 28.08.2005 को हुए घटना के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं हैं। वादी मुकदमा व अभियुक्तगण सच्चिदानन्द, हरेन्द्र व विश्वास के बीच क्या विवाद हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं न ही मैं घटना स्थल पर मौजूद था न ही मैनें घटना देखी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त न ही मेरी आंखों के सामने न ही मेरी जानकारी में वादी मुकदमा को न तो मारापीटा था न ही गाली गुप्ता दिया था न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही मेरी जानकारी में वादी मुकदमा की हड्डी टूटी थी। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।"

अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रप्रतिपरीक्षा में गवाह को धारा 161 CrpC का बयान पढकर सुनाया गया, गवाह ने इंकार किया, कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नही दिया था, दरोगा जी ने मेरा बयान कैसे लिख लिया मैं नही बता सकता। घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, न ही मैनें घटना देखी। अभियुक्तगण उपरोक्त न ही मेरी आंखों के सामने, न ही मेरी जानकारी में वादी मुकदमा को न तो मारापीटा था, न ही गाली गुप्ता दिया था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही मेरी जानकारी में वादी मुकदमा की हड्डी टूटी थी। मेरा नाम गवाहों की सूची में कैसे पड़ गया मैं नहीं जानता। यह कहना गलत हैं कि किसी लालच या बचाव में आकर अभियुक्तगण को बचाने के लिए न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्ल्यू०–2 के रूप में गुलजार यादव को सशपथ परीक्षित कराया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना के बारे में जानकारी नहीं हैं न ही मैंनें घटना देखी थी न हीं मैं घटनास्थल पर मौजूद था अभियुक्तगण सच्चिदानन्द, हरेन्द्र व विश्वास मेरी आंखों के सामने, न ही मेरी जानकारी में वादी मुकदमा को न तो मारापीटा था, न ही गाली गुप्ता दिया था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही मेरी जानकारी न ही मेरे सामने में वादी मुकदमा की हड्डी टूटी थी। मेरा नाम गवाहों की सूची में कैसे आ गया मैं नहीं जानता न ही बता सकता हूँ। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।"

अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षा में गवाह को धारा 161 CrpC का बयान पढकर सुनाया गया, गवाह ने इंकार किया, कहा उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नही दिया था, दरोगा जी ने मेरा बयान कैसे लिख लिया मैं नही बता सकता। वादी मुकदमा व अभियुक्तगण में क्या विवाद है मैं नहीं बता सकता। अभियुक्तगण सच्चिदानन्द, हरेन्द्र व विश्वास मेरी आंखों के सामने, न ही मेरी जानकारी में वादी मुकदमा को न तो मारापीटा था, न ही गाली गुप्ता दिया था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही मेरी जानकारी न ही मेरे सामने में वादी मुकदमा की हड्डी टूटी थी। यह कहना गलत हैं कि किसी लालच या बचाव में आकर अभियुक्तगण को बचाने के लिए न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

11. मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

10. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में रमापती यादव व पी० डब्लू०–2 के रूप में गुलजार यादव को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता को स्वीकार किया गया है। पत्रावली में वादी मुकदमा/चोटिल का मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अवलोकन से यह विदित है कि वादी मुकदमा/चोटहिल सुन्नर यादव के शरीर पर कुल 03 चोटें आना अंकित है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चोटिल सुन्नर दायें हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया, जो गम्भीर चोट की श्रेणी में आता है। पी०डब्ल्यू०–1 व पी० डब्लू०–2 ने अपने सशपथ बयान के मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में बताया है कि "घटना के बारे में जानकारी नहीं हैं न ही उन्होंने घटना देखी थी न हीं वे घटनास्थल पर मौजूद थे। अभियुक्तगण सच्चिदानन्द, हरेन्द्र व विश्वास उनकी आंखों के सामने, न ही उनकी जानकारी में वादी मुकदमा को न तो मारापीटा था, न ही गाली गुप्ता दिया था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही उनकी जानकारी में, न ही उनके सामने में वादी मुकदमा की हड्डी टूटी थी।" इस प्रकार पी०डब्ल्यू०–1 व पी० डब्लू०–2 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पी०डब्ल्यू०–1 व पी० डब्लू०–2 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। वादी मुकदमा सुन्नर यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अभियोजन कथानक का समर्थन करे। प्रस्तुत साक्ष्यों से घटना का कोई हेतुक साबित नहीं है।

11. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता को यद्यपि स्वीकार किया गया किन्तु अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता को स्वीकार कर लेने से अभियुक्तगण–**हरेन्द्र व विश्वास** पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे साबित नहीं हो जाते। अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह अपना केस निश्चित्ता के संदेह से परे साबित करें। अभियोजन के केस में आये संदेह का लाभ अभियुक्तगण पाने के हकदार है। अभियोजन को अपना

मामला अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराने के लिए सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और ये भार कभी भी नहीं बदलता।

12. उपरोक्त विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण–हरेन्द्र व विश्वास के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण–हरेन्द्र व विश्वास संदेह का लाभ पाने के अधिकारी है और दोष–मुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण–**हरेन्द्र व विश्वास को फौजदारी वाद संख्या–185/2006, मुकदमा अपराध संख्या–453/2005, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 325 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर** के तहत लगाये गये आरोपों से दोष–मुक्त किया जाता हैं। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं और प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा–437(A) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में दाखिल किये गये व्यक्तिगत बन्धपत्र व प्रतिभूगण निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक–30.07.2026

(शिरिष पटेल)
(उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP03572
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, जनपद–कुशीनगर।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक– 30.07.2026

(शिरिष पटेल)
(उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP03572
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, जनपद–कुशीनगर।

Digitally signed by SHIRISH PATEL
Date: 2026.07.30 17:12:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court